न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या 16/2019 (कम्प्यूटर नं. 2019/00029)

प्रार्थीगण

1. उच्छब कंवर पत्नी स्व. बिरजदान उम्र 65 वर्ष
2. उदयसिंह पुत्र स्व. बिरजदान उम्र 37 वर्ष
3. मूलसिंह पुत्र स्व. बिरजदान उम्र 31 वर्ष जाति सभी चारण निवासीयान त्रिसिंझा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित — श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनॉक :— 26.11.2019

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम त्रिसिंझा तहसील कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 22 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा में प्रार्थी सं. 1 के ससुर व प्रार्थी सं. 2 व 3 के दादा श्री पाबुदान पुत्र शिवदान की खातेदारी की अवस्थित रही, खतौनी सम्वत् 2035—2038 प्रस्तुत की गई है, द्वितीय भू—प्रबन्ध के दौरान गत खसरा नम्बर 22 के नवीन खसरा नम्बर 30 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 153/54 रकबा 0.16 हैक्टर कुल खसरा कुल रकबा 1.53 हैक्टर कायम हुए, प्रार्थी सं. 1 के पति व प्रार्थी सं. 2 व 3 के पिता बिरजदान पुत्र पाबुदान का स्वर्गवास दिनॉक 02.8.2012 को हो चुका है प्रार्थीगण बिरजदान पुत्र पाबुदान के विधिक वारिसान है,ग्राम त्रिसिंझा तहसील कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 22 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा मे पाबुदान पुत्र शिवदान के स्वर्गवास होने पर विरासत का नामान्तरकरण सं. 57 दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय सहवन से बिरजदान पुत्र शिवदान राजस्व रेकर्ड में अंकित कर दिया गया जबकि वास्तव में बिरजदान पुत्र पाबुदान अंकित किया जाना था जो नामान्तरकरण सं. 57 को देखने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि पाबुदान जी के स्वर्गवास के बाद राजस्व रेकर्ड में अंकित किया जाना था जो नामान्तरकरण सं. 57 को देखने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि पाबुदान के स्वर्गवास के बाद राजस्व रेकर्ड मे बिरजदान पुत्र शिवदान सहवन से अंकित किया गय है [illegible] जिसे सुधारना आवश्यक है क्योंकि बिरजदान जी का स्वर्गवास हो चुका है और उन[illegible] स्था[illegible]र उक्त खसरो मे उनके वारिसान का उत्तराधिकार का नामान्तरकरण [illegible] कि ग्राम त्रिसिंझा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 30 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 31 रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 153/54 रकबा 0.16 हैक्टर कुल खसरा कुल रकबा 1.53 हैक्टर में बिरजदान पुत्र शिवदान का नाम हटाया जाकर बिरजदान पुत्र पाबुदान का नाम अंकित किये जाने के आदेश फरमावें एवं एक तहरी अप्रार्थी को जारी फरमाई जावे कि माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–2065, जमाबन्दी नकल सम्वत 2050–2053, नामान्तरकरण सं. 55 की नकल, मिलान क्षेत्रफल की नकल, ग्राम पंचायत सरगोठ–पदमपुरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र दिनॉक 30.082018 की प्रति, बिरजदानसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, चालू जमाबन्दी नकल प्रस्तुत की।

वकील प्रार्थीगण की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, बहस दौरान बताया कि पाबूदान पुत्र शिवदान की मृत्यु पर बिरजदान पुत्र पाबूदान दर्ज होना चाहिए था जिसे सहवन से बिरजदान पुत्र शिवदान अंकित हो गया जबकि बिरजदान पुत्र पाबुदान दर्ज होना चाहिए था जिसे दुरूस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबंदी नकल सम्वत 2050–2053 ग्राम त्रिसिंझा के खसरा नम्बर 30 31 32 33 153/34 कुल रकबा 1.53 हैक्टर में बिरजदान पुत्र शिवदान जाति चारण सा. देह खातेदार दर्ज है, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–2065 में बिरजदान पुत्र शिवदान जाति चारण सा. देह खातेदार दर्ज है, चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 मे बिरजदान पुत्र शिवदान चारण सा. देह खातेदार दर्ज है, मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 22 के नये नम्बर 30 31 32 33 अंकित हुये है, नामान्तरकरण नकल नामा. सं.55 अनुसार पाबूदान पुत्र शिवदान कौम चारण सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 22 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा में दर्ज है तथा पाबूदान के फौत होने पर बिरजदान पुत्र शिवदान कौम चारण सा. देह अंकन है। मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार बिरजलालसिंह पुत्र पाबुदानसिंह की मृत्यु दिनॉक 02.08.2012 को ग्राम त्रिसिंगिया में हुई है, ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र अनुसार बिरजदानसिंह पुत्र पाबुदानसिंह जाति चारण निवासी त्रिसिंगिया के वारिसान का उल्लेख किया गया है। उपलब्ध रेकर्ड अनुसार उपरोक्त भूमि में पाबूदानसिंह पुत्र शिवदान की मृत्यु पर बिरजदानसिं पुत्र पाबूदानसिंह दर्ज होना चाहिए जबकि लिपिकीय त्रुटिवश बिरजदानसिंह पुत्र शिवदान दर्ज हुआ है जबकि बिरजदान के दादा का नाम शिवदान है जो गलत अंकन होना प्रतीत होता है, अतः बिरजदान के पिता का नाम शिवदान के स्थान पर पाबूदानसिंह दर्ज किया जाना साबित होता है। अतः प्रार्थना–पत्र साबित होने से स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर ग्राम त्रिसिंझा के खसरा नम्बर 153/34, 30, 31, 32, 33 कुल रकबा 1.53 हैक्टर में अंकित प्रविष्टि बिरजदान पुत्र शिवदान के स्थान पर बिरजदान पुत्र पाबूदानसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उक्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार [illegible] के [illegible] का नाम शिवदान हटाया जाकर पाबूदानसिंह किये जाने हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 26.11.2019 को [illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:24 IST
Reason: SelfAttested